न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध वाद संख्या-41/2022

कुले उरांव एवं अन्य

बनाम्

राज्य

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया कुले उरांव व सुधीर उरांव व रूले उरांव व जाये उरांव व कामे उरांव सभी के पिता–गिदु उरांव व धर्मसहाय उरांव पिता–मंगला उरांव व लालू उरांव पिता–बुधु उरांव सभी ग्राम–घुटाम, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के द्वारा ग्राम–घुटाम थाना–बालूमाथ के हाल सर्वे खाता नं0–76(क) के आधार पर लगान कायम करने हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण के पूर्वज लिटु उरांव के नाम पुराना खाता नं0–61 रकबा–2.08 एकड़ भूमि तथा पुराना खाता नं0–12 रकबा–8.79 एकड़ साबिक खतियान में दर्ज है, जिसपर ये शांतिपूर्वक जोत–कोड़, दखल कब्जा व स्वत्व अधिकार प्राप्त किये हैं।

<u>वंशावली</u>

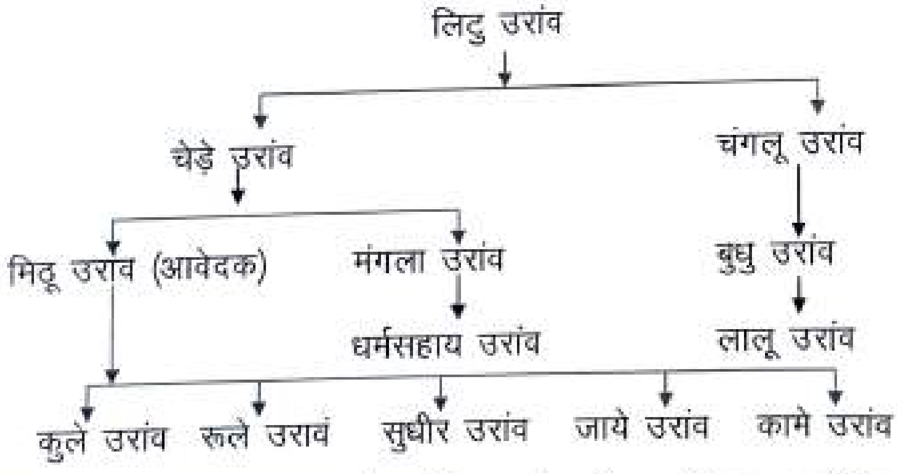

जमिंदारी उन्मुलन के पश्चात् रैयत लिटू उरांव के नाम में लगान पुस्तिका–II में

लगान कायम है। हाल सर्वे खाता नं0–76(क) जो रैयत लिटू उरांव के वारिशान के नाम से सर्वे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया है। हाल सर्वे खाता नं0–76(क) के भूमि पर लिटू उरांव के वारिशांनगण उत्तराधिकार एवं वंशानुगत आधार पर लगातार शांतिपूर्वक जोत–कोड़, दखल कब्जा एवं स्वत्व अधिकार में चले आ रहे है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–85 के तहत् बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू के द्वारा खाता नं0–76(क) में वर्णित प्लॉट कुल रकबा–11.24 एकड़ है, के लिए 7.25 रूपये लगान तय है तथा अग्रेतर 22.95 रूपये अलावे शेष खतियान के इंद्राज में कायम है। दिनांक 10.07.2021 को आवेदकगण अंचल अधिकारी, बालूमाथ से हाल सर्वे खाता नं0–76(क) के नाम पर लगान जारी करने हेतु प्रार्थना किये तो अंचल अधिकारी ने असमर्थता जाहीर किये। अतः हाल सर्वे खतियान खाता नं0–76(क) के प्लॉट नं0–169 रकबा–0.20 एकड़, प्लॉट नं0–170 रकबा–0.24 एकड़, प्लॉट नं0–206 रकबा–0.86 एकड़, प्लॉट नं0–621 रकबा–1.53 एकड़, प्लॉट नं0–636 रकबा–0.48 एकड़, प्लॉट नं0–652 रकबा–1.27 एकड़, प्लॉट नं0–655 रकबा–1.32 एकड़, प्लॉट नं0–657 रकबा–1.35 एकड़, प्लॉट नं0–928 रकबा–0.91 एकड़, प्लॉट नं0–1165 रकबा–0.04 एकड़, प्लॉट नं0–1166 रकबा–0.06 एकड़, प्लॉट नं0–1167 रकबा–0.02 एकड़, प्लॉट नं0–1168 रकबा–1.35 एकड़, प्लॉट नं0–664 रकबा–0.57 एकड़, प्लॉट नं0–667 रकबा–1.04 एकड़ कुल रकबा–11.24 एकड़ के आधार पर लगान कायम करने का आदेश अंचल अधिकारी, बालूमाथ को दिया जाय।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक 485 दिनांक 16.07.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक कुले उरांव वगैरह पिता–मिटु उरांव एवं अन्य निवासी ग्राम–घुटाम, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित भूमि का संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से राजस्व कागजातों के साथ जांच कराया गया। जांच से स्पष्ट है कि ग्राम–घुटाम के खाता संख्या–76(क) रैयत मिटु उरांव व मंगला उरांव पिता–चेड़े उरांव एक अंश समान वो चगलु उरांव पिता– लिटू उरांव एक अंश समान प्लॉट संख्या–167, 170, 206, 621, 636, 652, 655, 657 एवं अन्य प्लॉट कुल रकबा–11.24 एकड़ भूमि का खतियान आवेदकगण को प्राप्त है। आर0एस0 खाता संख्या–76(क) का ऑनलाईन मांग पंजी–II create नहीं है जिसके कारण ऑनलाईन लगान रसीद

निर्गत नहीं हो पा रहा है।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक 119 दिनांक 06.02.2023 एवं पत्रांक 1071 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक कुले उरांव, ग्राम–घुटाम के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र पर जांच की गयी, जांच प्रतिवेदन निम्नवत है :–

1. आवेदक कुले उरांव द्वारा समर्पित हाल सर्वे के अनुसार सिल सिलेवार खतियान में मौजा घुटाम के खाता संख्या–76(क) रैयत मिटू उरावं व मगला उरांव पिता–चेड़े उरांव एक अंश समान व चगलु उरांव पिता– लिटू उरावं एक अंश जाति उरांव निवासी निजग्राम टोला पालही पत्रालय चिरू दर्ज है। जिसका प्लॉट संख्या–169, 170, 206, 621, 636, 652, 655, 657, 928, 1165, 1166, 1167, 1168, 664, 667, रकबा क्रमशः 0.20, 0.24, 0.86, 1.53, 0.48, 1.27, 1.32, 1.35, 0.91, 0.04, 0.06, 0.02, 1.35, 0.57, 1.04 एकड़ कुल रकबा–11.24 एकड़ दर्ज है। इसी खाता का ऑनलाईन खतियान में खाता संख्या 761 दर्ज पाया गया। जिसमें खतियानी रैयत मिटु उरांव वगैरह एवं मिटु लोहार का नाम संयुक्त रूप से प्रदर्शित हो रहा है। जबकि खाता संख्या–76(क) उर्फ 761 का वास्तविक खतियानी रैयत मिटु उरांव वगैरह है। खतियानी रैयत मिटु लोहार का खाता संख्या मात्र 76 है। जिसका ऑनलाईन खतियान एवं पंजी–II Create है। खाता संख्या–76 में प्लॉट संख्या–808, 812, 820, 821, 822 रकबा क्रमशः 2.34, 0.50, 0.88, 0.39, 0.12, एकड़ कुल 4.32 एकड़ है।

2. मौजा घुटाम के हाल सर्वे ऑफलाईन खाता संख्या–76(क) एवं ऑनलाईन अधिकार अभिलेख के खाता 761 दोनों के खतियानी रैयत मिटु उरांव वो मगला उरांव पिता चेड़े उरांव एक अंश समान व चगलु उरांव पिता लिटू उरांव एक अंश जाति उरांव निवासी निजग्राम टोला पालही पत्रालय चिरू है। जिसका ऑनलाईन पंजी–II Create नहीं है।

3. मूल खतियान के मिलान से स्पष्ट होता है कि खाता संख्या–76(क) का ही ऑनलाईन में खाता संख्या–761 दर्ज हो गया है।

अतः खाता संख्या–76(क) उर्फ खाता संख्या–761 का प्लॉट संख्या–169, 170, 206, 621, 636, 652, 655, 657, 928, 1165, 1166, 1167, 1168, 664, 667, रकबा क्रमशः 0.20, 0.24, 0.86, 1.53, 0.48, 1.27, 1.32, 1.35, 0.91, 0.04, 0.06, 0.02, 1.35, 0.57, 1.04 एकड़ कुल रकबा– 11.24 एकड़ रैयत

मिटु उरांव व मगला उरांव पिता चेड़े उरांव एक अंश समान वो चगलू उरांव पिता–लिटु उरावं एक अंश, जाति उरांव निवासी निजग्राम टोला पालही पत्रालय चिरू के नाम से ऑनलाईन पंजी–II Create करने की कार्रवाई की जाय, ताकि आवेदक का लगान रसीद प्राप्त हो सके।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा घुटाम हाल सर्वे खाता संख्या–76(क) आवेदकगण के पूर्वज के नाम से है। खाता संख्या–76(क) का ऑनलाईन में खाता संख्या 761 दर्ज हो गया है और खाता संख्या–76(क) का ऑनलाईन पंजी–II Create नहीं है। जिसके कारण लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है।

अतः अपर समाहर्ता, लातेहार को आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण की भूमि मौजा घुटाम अंचल–बालूमाथ के खाता संख्या–76(क) का प्लॉट संख्या–169, 170, 206, 621, 636, 652, 655, 657, 928, 1165, 1166, 1167, 1168, 664, 667, रकबा क्रमशः 0.20, 0.24, 0.86,1.53, 0.48, 1.27, 1.32, 1.35, 0.91, 0.04, 0.06, 0.02, 1.35, 0.57, 1.04 एकड़ कुल रकबा–11.24 एकड़ का नियमानुसार पंजी–II Create करने से संबंधित कार्य 08 सप्ताह के अन्दर करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

10/06/23

उपायुक्त,
लातेहार।

10/06/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.06.10 17:42:02 +05:30
Location: 10.93.47.5